न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 132/2009 (2009/00024) जिला–अजमेर

1. सायर पुत्र पन्ना जाति मेहरात निवासी कानाखेड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. रूपचन्द
2. छोटू
3. सोहनलाल
   पुत्रान घीसा
4. श्रीमती धापू पत्नी घीसा
5. रणजीत पुत्र छीतर
6. बादामी पत्नी छीतर
7. प्रकाश ।
8. राजेश । नाबालिग जरिये रूपचन्द पुत्र घीसा
   समस्त जाति भांण्ड निवासी गांव कानाखेड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 02–07–2009
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111/2007
बउनवान रूपचन्द व अन्य बनाम राज0 सरकार

––––

उपस्थित–
1. श्री अमित कासोटिया अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री वी0पी0सिंह राजावत अभिभाषक प्रत्यर्थी सुंख्या 1 से 8
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–9

निर्णय

दिनांकः– 01–08–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा की जमाबदी के खाता

संख्या 107, 307, 70, 572, 60, 82, 375 की भूमियों में दर्ज जाति दांढी से भाण्ड मय दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–07–2009 द्वारा प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जाति दांढ़ी से भांड करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है क्योकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किसी भी व्यक्ति की जाति में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विशेष न्यायाधीश एस.सी. व एस.टी अत्याचार निवारण अधिनियम अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 08–12–2008 के द्वारा यह माना है कि अपीलार्थी जिसके विरूद्ध धारा 504 का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था और धारा 3 (1)(10) एस.सी. और एस.टी. अत्याचारण निवारण अधिनियम के तहत जाति भाण्ड जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है तथा अनूसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है। जब प्रतिवादीगण की जाति का प्रकरण दीवानी न्यायालय द्वारा सुलझा लिया गया है तो उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रतिवादीगण की जाति परिवर्तन करने का आदेश दिया जो विधिसम्मत नहीं है। प्रतिवादीगण ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–12–2008 को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय से आक्षेपित निर्णय दिनांक 02–07–2009 पारित करवाया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसके तहत लिपिकीय त्रुटि को दोनों पक्षो की सहमति से ही दुरूस्त कराये जाने का प्रावधान है। राजस्व अधिकारी के द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी रेकार्ड में किसी भी त्रुटि को जब तक ठीक नहीं किया जायेगा जब तक कि पक्षकार को कोई नोटिस जारी कर दिया गया हो। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश निर्णय या डिक्री जो अधिकार क्षेत्र के बिना पारित की गई है शून्य व गैर कानूनी है जिसकी कोई कानूनी वैद्यता नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर अपीलार्थी को परेशान करने के लिए प्रत्यर्थीगण ने अपनी जाति ही परिवर्तन करवा ली जो कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–12–2008 से स्पष्ट है और यदि आक्षेपित निर्णय को खारिज नहीं किया जाता है तो यह अपीलार्थी के अधिकारों का हनन होगा।

उनका यह भी कथन है कि आर.आर.टी 2002 (1) पेज 150 में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजस्थान भू–रजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड मे लिपिकीय त्रुटि या किसी अन्य त्रुटि को ठीक कर सकता है जिसके लिए दोनों पक्षों का सहमत होना आवश्यक है। लेकिन याचिकाकर्ता की खातेदारी को रद्द करना और गैर मुमकिन शमशान के रूप में भूमि में प्रवेश करना उपखण्ड अधिकारी का क्षैत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2–7–2009 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 8 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रत्यर्थीगण की जाति गलत दर्ज कर दी। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का प्रावधान है व उसे विपक्षी पार्टी स्वीकार करती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 107, 307, 70, 572, 60, 82, 375 की जमाबंदी में प्रत्यर्थीगण की जाति भांड से हटाकर दांडी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जाति दांढ़ी से भांड परिवर्तित कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 9 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–07–2009 विधिसम्मत है। सरपंच ग्राम पंचायत कानाखेड़ा द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 2–11–2007 में प्रत्यर्थीगण की जाति भाण्ड होने का कथन किया है तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र जिसमें जाति भाण्ड है तथा राशन कार्ड में भी प्रत्यर्थीगण की जाति भाण्ड का ही अंकन है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कोई गलती जानकारी में आने पर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद और किसी पक्षकार अपनी ओर से गलती होना जाहिर किया जावे तो भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा ऐसी गलतियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुद्ध कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों में संशोधन हेतु जारी परिपत्र दिनांक 26–12–1995, 1–11–1996 एवं 30–4–2003 के द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किये थे कि राजस्व अभिलेख में

काश्तकारों के जाति व नाम गलत होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करके दरूस्त कराने का नियमों में प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से प्रत्यर्थीगण की जाति भांड भंलीभाति सिद्ध होती है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 107, 307, 70, 572, 60, 82, 375 की जमाबंदी सम्वत 2958 से 2061 एवं 2059 से 2062 में प्रत्यर्थीगण की जाति दांढ़ी से भांड करने का आदेश पारित किया है जो उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–07–2009 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–07–2009 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111/2007 रूपचन्द व अन्य बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर